व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014

योजना का विवरण एवं पात्रता-

1. न्यूनतम 3 वर्ष से निरंतर वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानो के लिये व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु यह योजना होगी।

2. परीक्षार्थी द्वारा चयनित देष की किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि योजना की कंडिका ग-(5) में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप हो, में कोचिंग लेने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ देय होगा।

3. रू. 20,000 अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिषत (दोनो मे से जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।

4. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिषत अंक लेना अनिवार्य है।

5. कोचिंग संस्थान

- कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
- न्यूनतम 300 विधाथियों को कोचिंग प्रदान की गई हो।
- कम से कम 3 वर्षो से सेवा शुल्क (SERVICE TAX) प्रदायकर्ता हो।

योजना में हितलाभ का भुगतान -

निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जाएगा।

- कोचिंग संस्थान जहां स्थित है वहा के स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।
- हितलाभ का भुगतान हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांसफर पद्धति से किया जायेगा।
- भुगतान कोचिंग संस्थान को किया जायेगा।
- हितलाभ का भुगतान, हितग्राही द्वारा देय 25 प्रतिषत कोचिंग शुल्क के भुगतान की
- प्रमाणिक जानकारी देने पर दो किष्तो में किया जायेगा।
- यह अनुदान एक स्तर की प्रवेष परीक्षा के लिये अधिकतम दो बार देय होगा।
-

पदाभिहित अधिकारी-

ग्रामीण क्षेत्र हेतु - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र हेतु - आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद